

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 22-04-2026

विषय सूची

18वाँ सिविल सेवा दिवस

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में वैश्विक दक्षिण के अधिक प्रतिनिधित्व हेतु भारत का प्रयास
सर्कुलर अर्थव्यवस्था: अपशिष्ट को संपदा में परिवर्तित करना

भारत में खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र

संक्षिप्त समाचार

आदि शंकराचार्य

SMILE योजना

शेखा झील पक्षी अभयारण्य को नया रामसर स्थल घोषित

ट्रक माउंटेड एटेनुएटर्स (TMAs)

ट्रॉल असेंबली

विश्व पृथ्वी दिवस 2026

ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2026

सालवीन नदी

समृद्ध ग्राम पहल एवं WSIS पुरस्कार 2026

18वाँ सिविल सेवा दिवस

संदर्भ

- 18वें सिविल सेवा दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति ने “अधिक शक्ति के साथ अधिक जिम्मेदारी भी आती है” के विचार का उल्लेख करते हुए सिविल सेवकों से आह्वान किया कि वे नैतिक शासन, सत्यनिष्ठा और लोक सेवा के मूल्यों को बनाए रखते हुए ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य की प्राप्ति करें।

सिविल सेवा दिवस

- सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1947 में उस अवसर की स्मृति में मनाया जाता है जब सरदार वल्लभभाई पटेल ने नई दिल्ली के मेटकाफ हाउस में सिविल सेवकों के प्रथम बैच को संबोधित किया था।
- उन्होंने सिविल सेवकों को “स्टील फ्रेम ऑफ़ इंडिया” कहा और देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने में उनकी भूमिका पर बल दिया।

सिविल सेवाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 309 संसद एवं राज्य विधानसभाओं को भर्ती तथा सेवा शर्तों के विनियमन का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 310 के अनुसार, संघ और राज्यों के सिविल सेवक क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल के ‘इच्छाधीन पद’ पर कार्य करते हैं।
- अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं (जैसे IAS, IPS, IFoS) के सृजन की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) तथा राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) की स्थापना का प्रावधान करते हैं।

भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास

- लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है।
- लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की।

- 1806 में इसे इंग्लैंड के हेलीबरी स्थित ईस्ट इंडिया कॉलेज द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- 1853 से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक सिविल सेवकों की नियुक्ति करते थे।
- 1853 के चार्टर अधिनियम ने आश्रय-प्रथा समाप्त कर खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की।
- 1855 में लंदन में प्रथम ICS परीक्षा आयोजित हुई।
- 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय बने जिन्होंने ICS उत्तीर्ण किया।

सिविल सेवाओं में शक्ति और उत्तरदायित्व के नैतिक आयाम

- **सिविल सेवाओं में शक्ति का स्वरूप** : सिविल सेवक महत्वपूर्ण अधिकार, प्रशासनिक विवेकाधिकार तथा सार्वजनिक संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जिनका नागरिकों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
 - यह स्थिति इस दायित्व को जन्म देती है कि शक्ति का प्रयोग केवल जनकल्याण एवं राष्ट्रीय हित के लिए ही किया जाए।
- **निर्णय-निर्माण में निष्पक्षता** : सिविल सेवकों को वैध नीतिगत निर्देशों और अनुचित बाह्य दबावों के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए।
 - प्रशासनिक कार्यवाहियों में न्यायसंगतता, वस्तुनिष्ठता तथा तटस्थता परिलक्षित होनी चाहिए, जिससे सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित हो सके।
- **भारतीय चिंतन में नैतिक आधार** : तिरुवल्लुवर के उपदेशों के अनुसार “अरम” (धर्म/नैतिकता) सार्वजनिक जीवन का सर्वोच्च गुण है।
 - यह राज्य की नैतिक वैधता तथा सतत सामाजिक-आर्थिक विकास दोनों को सुनिश्चित करता है।

सिविल सेवकों के समक्ष चुनौतियाँ

- **राजनीतिक पक्षपात** : कभी-कभी सिविल सेवकों की तटस्थता में कमी के कारण महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन में राजनीतिक पक्षपात उत्पन्न हो जाता है।

- इसका प्रमुख कारण तथा परिणाम दोनों ही रूपों में नौकरशाही के विभिन्न पहलुओं, जैसे पदस्थापन एवं स्थानांतरण, में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप है।
- **विशेषज्ञता का अभाव** : सामान्यवादी (Generalist) पृष्ठभूमि वाले करियर नौकरशाहों में तकनीकी चुनौतियों से निपटने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव हो सकता है।
- **लालफीताशाही** : अत्यधिक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएँ निर्णय-निर्माण में विलंब उत्पन्न करती हैं तथा समयबद्ध सेवा वितरण में बाधा डालती हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ** : उच्च दबाव वाले कार्य वातावरण तथा लंबे कार्य-घंटे सिविल सेवकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
- **नवाचार के प्रति प्रतिरोध** : कठोर प्रशासनिक संस्कृति नए प्रयोगों एवं नवाचारों को अपनाने में बाधा उत्पन्न करती है।
- **पुराने नियम एवं प्रक्रियाएँ** : कई सेवा नियम औपनिवेशिक काल की विरासत हैं, जो आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।

नौकरशाही की दक्षता बढ़ाने हेतु प्रशासनिक सुधार

- **मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय कार्यक्रम** : यह भारत सरकार द्वारा 2020 में प्रारंभ किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं को 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' तथा नागरिक-केंद्रित कार्यप्रणाली में परिवर्तित करना है।
- **सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री** : प्रशासन में विशेषज्ञता लाने तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए लेटरल एंट्री की व्यवस्था की गई है।
- **ई-गवर्नेंस पहल** : केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)
 - प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु SPARROW प्रणाली
 - सेवा अभिलेखों का डिजिटलीकरण
 - ये सभी पहल प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं दक्षता को सुदृढ़ करने में सहायक हैं।

निष्कर्ष

- सिविल सेवाओं की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि वे अपनी शक्ति का उपयोग नैतिक जिम्मेदारी, निष्पक्षता एवं जनकल्याण के अनुरूप करें।
- मूल्य-आधारित प्रशासनिक ढांचा प्रभावी शासन, नागरिक विश्वास एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा।

स्रोत: AIR

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में वैश्विक दक्षिण के अधिक प्रतिनिधित्व हेतु भारत का प्रयास

संदर्भ

- भारत ने वर्ष 2026 में विकास के लिए वित्तपोषण (FfD) पर आयोजित ECOSOC फोरम तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सुधार संबंधी चर्चाओं में UNSC के त्वरित पुनर्गठन, वैश्विक दक्षिण के अधिक प्रतिनिधित्व तथा वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से संबंधित समस्याएँ

- **पुरानी संरचना** : यह संरचना द्वितीय विश्व युद्ध (1945) के पश्चात की शक्ति-संतुलन व्यवस्था को दर्शाती है तथा वर्तमान वैश्विक परिदृश्य, जैसे भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान का उदय तथा अफ्रीका एवं वैश्विक दक्षिण के बढ़ते महत्व को प्रतिबिंबित नहीं करती।
- **प्रतिनिधित्व का अभाव** : अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के पास कोई स्थायी सदस्यता नहीं है। वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, जिससे लोकतांत्रिक कमी (Democratic Deficit) उत्पन्न होती है।
- **वीटो शक्ति की समस्या** : स्थायी सदस्य (P5) — अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं चीन — के पास वीटो शक्ति है, जो मानवीय संकटों के समय भी निर्णयों को अवरुद्ध कर देती है। इससे नीति-निर्माण में गतिरोध उत्पन्न होता है (जैसे सीरिया एवं यूक्रेन संघर्ष)। इसे अलोकतांत्रिक एवं असमान माना जाता है।

- **वैधता का संकट** UNSC के निर्णय प्रायः महाशक्तियों की राजनीति से प्रभावित एवं पक्षपाती माने जाते हैं, जिससे इसके प्रस्तावों पर विश्वास कम होता है।
- **संघर्ष समाधान में अक्षमता** : युद्धों की रोकथाम एवं दीर्घकालिक संघर्षों के समाधान में विफलता।
 - शांति स्थापना अभियानों की सफलता P5 देशों के राजनीतिक मतभेदों से सीमित हो जाती है।
- **भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा** अमेरिका बनाम चीन तथा रूस बनाम पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव निर्णय-निर्माण में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
- **धीमी सुधार प्रक्रिया** : सुधार हेतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन आवश्यक है, जिसके लिए 2/3 सदस्य देशों तथा सभी P5 की स्वीकृति अनिवार्य है। राजनीतिक विरोध सुधारों में विलंब करता है।
- **क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा** : भारत-पाकिस्तान तथा ब्राज़ील-अर्जेंटीना जैसे देशों के बीच मतभेद सुधार प्रक्रिया को कमजोर करते हैं।
- **विकास संबंधी मुद्दों पर सीमित ध्यान** : UNSC सुरक्षा पर अधिक ध्यान देता है, जबकि जलवायु परिवर्तन, महामारी एवं आर्थिक अस्थिरता जैसे उभरते खतरों की उपेक्षा करता है।

UNSC सुधार पर भारत की स्थिति

- **मुख्य तर्क** : वर्तमान UNSC संरचना पुरानी एवं विकासशील देशों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली है।
 - **भारत की मांगें** : स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता का विस्तार।
 - वैश्विक दक्षिण एवं अफ्रीका को अधिक प्रतिनिधित्व (अफ्रीकी मॉडल के अनुरूप)।
- **प्रमुख समूह** : यह UNSC की वैधता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाता है तथा भारत की स्थायी सदस्यता की आकांक्षा के अनुरूप है।
 - **G4 देश** : भारत, ब्राज़ील, जर्मनी एवं जापान।
 - **अफ्रीकी संघ** : दो स्थायी सीटों की मांग।
 - **L.69 समूह** : सुधार का समर्थन करने वाले विकासशील देशों का समूह।

- **भारत एवं संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना**: भारत शांति स्थापना अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है; 1948 से अब तक 2,75,000 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया है।
 - **मुख्य फोकस क्षेत्र** : संघर्ष समाधान एवं शांति निर्माण।
 - **हालिया सहभागिता** : चर्चाएँ शांति स्थापना अभियानों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहीं।

सुधार में बाधाएँ एवं कारण

- चीन, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है तथा अपने वीटो के माध्यम से चार्टर संशोधन को रोक सकता है।
- इटली एवं पाकिस्तान के नेतृत्व वाला 'यूनाइटेड फॉर कॉफ़ी क्लब' (Coffee Club) समूह स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करता है।
- चार्टर संशोधन हेतु अनुच्छेद 23, 27 एवं 108 में परिवर्तन आवश्यक है, जिसके लिए महासभा के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है।

UNSC की वर्तमान संरचना

- **संरचना**: 5 स्थायी सदस्य (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन) तथा 10 अस्थायी सदस्य (2 वर्ष का कार्यकाल)।

वैश्विक दक्षिण

- यह एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को संदर्भित करता है, जिनकी विशेषताएँ कम औद्योगिकीकरण, औपनिवेशिक शोषण का इतिहास एवं विकास संबंधी चुनौतियाँ हैं।
- यह संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का बहुमत प्रतिनिधित्व करता है, किन्तु इसके पास अनुपातिक शक्ति का अभाव है।

वैश्विक वित्तीय प्रणाली से संबंधित समस्याएँ

- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए प्रतिवर्ष 4 ट्रिलियन डॉलर का वित्तीय अंतर
- IMF एवं विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की असमान संरचना
- विकासशील देशों की सीमित भागीदारी

- **भारत के प्रस्ताव :**
 - न्यायसंगत, समावेशी एवं विकास-उन्मुख वित्तीय प्रणाली का निर्माण
 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार, जिससे वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब हो
 - वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करना
 - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को विकास के साधन के रूप में बढ़ावा देना
 - सुधारों को सेविला प्रतिबद्धता (FfD एजेंडा) के अनुरूप बनाना

भारत एवं वैश्विक शासन के लिए महत्व

- **भारत के लिए:** वैश्विक दक्षिण के नेता एवं एक उत्तरदायी वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका सुदृढ़ होती है।
- **विश्व के लिए:** UNSC की वैधता एवं संघर्ष समाधान में प्रभावशीलता बढ़ती है तथा बहुध्रुवीय एवं समावेशी वैश्विक व्यवस्था की ओर अग्रसरता होती है।

निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र में भारत के हस्तक्षेप वैश्विक शासन संस्थानों में व्यापक सुधार की निरंतर पहल को दर्शाते हैं, जो वित्तीय असमानताओं एवं राजनीतिक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दोनों को संबोधित करते हैं।
- ये सुधार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति तथा संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

स्रोत: DD News


सर्कुलर अर्थव्यवस्था: अपशिष्ट को संपदा में परिवर्तित करना

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल संगोष्ठी ऑन रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकॉनमी में यह रेखांकित किया कि विश्व एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर तीव्र परिवर्तन कर रहा है, जहाँ अपशिष्ट को बढ़ते हुए संसाधन के रूप में देखा जा रहा है।

सर्कुलर अर्थव्यवस्था क्या है?


- सर्कुलर अर्थव्यवस्था (CE) उत्पादन का एक मॉडल है जो उत्पाद जीवन चक्र के सभी चरणों—कच्चे माल के निष्कर्षण और विनिर्माण से लेकर निपटान और पुनः उपयोग तक—अपशिष्ट को कम करने या समाप्त करने को प्राथमिकता देता है।



- भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था का अनुमानित बाजार मूल्य वर्ष 2050 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा और यह 1 करोड़ रोजगार सृजित करेगी।

सर्कुलर अर्थव्यवस्था का महत्व

- **आर्थिक अवसर:** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाने से वर्ष 2030 तक 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक लाभ उत्पन्न हो सकते हैं, साथ ही उत्सर्जन में कमी और स्थायी हरित रोजगार का सृजन होगा।
- **रोजगार सृजन:** पुनर्चक्रण, पुनःनिर्माण, पुनःउत्पादन और सतत उत्पाद डिजाइन में रोजगार के अवसरों का विस्तार।
- **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:** सर्कुलर मॉडल अपनाने वाले व्यवसायों को बाजार में बढ़त मिलती है क्योंकि उपभोक्ता सतत उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं।



सर्कुलर अर्थव्यवस्था संक्रमण के अध्ययन

- **स्वीडन का वेस्ट-टू-एनर्जी मॉडल:** स्वीडन सर्कुलर अर्थव्यवस्था में वैश्विक अग्रणी है, जहाँ घरेलू अपशिष्ट का 1% से भी कम लैंडफिल में जाता है।
 - लगभग 50% अपशिष्ट पुनर्चक्रित होता है, जबकि शेष 50% उन्नत वेस्ट-टू-एनर्जी (WTE) संयंत्रों के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जो लगभग 10 लाख घरों को जिला हीटिंग और 2.5 लाख घरों को विद्युत प्रदान करता है।
- **इंदौर का “वेस्ट-टू-वेल्थ” मॉडल:** इंदौर एशिया का सबसे बड़ा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित बायो-सीएनजी संयंत्र संचालित करता है, जो प्रतिदिन 550 टन जैविक अपशिष्ट का प्रसंस्करण कर लगभग 17,000 किलोग्राम बायो-सीएनजी और 100 टन खाद उत्पन्न करता है।
 - शहर का 100% पृथक्करण, शून्य-लैंडफिल मॉडल, PPP वित्तपोषण और कार्बन क्रेडिट का मुद्रीकरण एक स्केलेबल शहरी सर्कुलर अर्थव्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था में नेतृत्व

- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM-U):** शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को 3R (Reduce, Reuse, Recycle) सिद्धांतों से सुदृढ़ करना।
- **गोबर-धन योजना:** बायोगैस और जैविक अपशिष्ट प्रसंस्करण के माध्यम से वेस्ट-टू-वेल्थ पहल को बढ़ावा देना।
 - फरवरी 2025 तक यह योजना भारत के 67.8%

जिलों को कवर करती है और 1008 बायोगैस संयंत्र पूर्ण रूप से संचालित हैं।

- **ई-वेस्ट प्रबंधन नियम (2022):** इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट निपटान में सर्कुलर अर्थव्यवस्था प्रथाओं को सुदृढ़ करना।
- **प्लास्टिक हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** उद्योगों को प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए उत्तरदायी बनाना।
 - भारत ने 2022 में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया।
- **12वाँ क्षेत्रीय 3R एवं सर्कुलर अर्थव्यवस्था मंच:** मार्च 2025 में जयपुर, भारत में आयोजित, जिसने सतत अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों में क्षेत्रीय सहयोग को एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बनाया।

सर्कुलर अर्थव्यवस्था लागू करने की चुनौतियाँ

- **तकनीकी विशेषज्ञता:** अनेक व्यवसाय, नगरपालिकाएँ और नागरिक सर्कुलर अर्थव्यवस्था सिद्धांतों से अपरिचित हैं तथा इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु तकनीकी ज्ञान का अभाव है।
- **उच्च प्रारंभिक निवेश लागत:** पुनर्चक्रण अवसंरचना या सतत उत्पाद डिज़ाइन जैसी सर्कुलर प्रणालियों की स्थापना हेतु भारी पूंजी की आवश्यकता होती है।
- **असमान कॉर्पोरेट अपनाना:** भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बनाने वाले लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs) अभी तक इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं, जिससे संक्रमण असमान है।

- **अपर्याप्त नीति प्रवर्तन:** नीतियाँ मौजूद होने के बावजूद कमजोर प्रवर्तन और सीमित प्रोत्साहन अपनाने की गति को धीमा करते हैं।

आगे की राह

- सर्कुलर अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं को बड़े निगमों से आगे सभी उद्योग स्तरों तक पहुँचाने की आवश्यकता है।
- उत्पादों की मरम्मत और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना ताकि उनका जीवनचक्र बढ़े तथा संसाधन खपत कम हो।
- पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं में सुधार करना ताकि संचय और पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके, विशेषकर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पहलों के माध्यम से।

स्रोत: AIR

भारत में खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र

संदर्भ

- भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि और उद्योग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरा है, जो मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देता है, किसानों की आय में सुधार करता है और निर्यात क्षमता का विस्तार करता है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

- खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ है कच्चे कृषि उत्पादों को उपभोग योग्य वस्तुओं में परिवर्तित करना, जो साधारण सफाई से लेकर जटिल औद्योगिक विनिर्माण तक हो सकता है।
- यह तीन स्तरों पर कार्य करता है:
 - **प्राथमिक प्रसंस्करण:** उत्पाद की सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग।
 - **द्वितीयक प्रसंस्करण:** कच्चे इनपुट को आटे जैसे मध्यवर्ती उत्पादों में बदलना।
 - **तृतीयक प्रसंस्करण:** रेडी-टू-ईट या रेडी-टू-कुक खाद्य उत्पादों का उत्पादन।

क्षेत्र का महत्व

- खाद्य प्रसंस्करण शेल्फ लाइफ बढ़ाता है और संदूषण जोखिम को कम करके खाद्य सुरक्षा में सुधार करता है।
- यह पोषण और सुविधा का समर्थन करता है, जिससे शहरी जनसंख्या के लिए प्रसंस्कृत एवं रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं।
- यह किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार को सुदृढ़ करता है, कृषि उत्पादों की मांग सृजित करता है और मूल्य श्रृंखला में रोजगार उत्पन्न करता है।
- यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जहाँ सकल मूल्य वर्धन ₹1.34 लाख करोड़ (2014–15) से बढ़कर ₹2.24 लाख करोड़ (2023–24) हुआ।
- निर्यात वृद्धि में भी यह प्रमुख भूमिका निभाता है, जहाँ प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा कृषि निर्यात में 13.7% से बढ़कर 20.4% (2014–15 से 2024–25) हुआ।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि के कारक

- भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश और शहरीकरण प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ा रहे हैं, और बाजार USD 263 बिलियन से बढ़कर USD 470 बिलियन (2025) तक पहुँचने की संभावना है।
- डिजिटल परिवर्तन ने किसानों से सीधे बाजार तक पहुँच और ई-कॉमर्स व फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का विस्तार संभव बनाया है।
- 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और PLISFPI जैसी योजनाओं ने निवेश को बढ़ावा दिया है।
- स्वास्थ्य-उन्मुख और बाजरा-आधारित उत्पादों में नवाचार तथा एग्री-टेक समाधानों का अपनाना उत्पाद विविधता और गुणवत्ता में सुधार कर रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLISFPI)

- PLISFPI वृद्धिशील बिक्री पर आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह भारत को वैश्विक प्रसंस्करण केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु एक प्रमुख नीतिगत पहल है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय खाद्य ब्रांड बनाना, उत्पादन और निर्यात बढ़ाना है।


- योजना तीन घटकों में संरचित है:



- **श्रेणी I:** रेडी-टू-ईट खाद्य, प्रसंस्कृत फल व सब्जियाँ, समुद्री उत्पाद और मोज़रेला चीज़ जैसे प्रमुख खंडों का बड़े पैमाने पर विनिर्माण।
- **श्रेणी II:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में नवाचार को बढ़ावा देना, जिसमें जैविक एवं विशिष्ट उत्पाद शामिल हैं।
- **श्रेणी III:** विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन का समर्थन, जहाँ व्यय का 50% तक प्रतिपूर्ति सीमा के अधीन है।
- बाजरा-आधारित उत्पादों हेतु एक विशेष घटक मूल्य संवर्धन और विविधीकरण को बढ़ावा देता है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- 274 परियोजना स्थलों पर 165 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जो उद्योग की सुदृढ़ भागीदारी को दर्शाते हैं।



- स्वीकृत आवेदनों में से 69 MSMEs हैं, जो छोटे उद्यमों की सुदृढ़ भागीदारी को दर्शाते हैं। MSMEs को लक्षित प्रोत्साहन मिले हैं, जिससे नवाचार और विकेंद्रीकृत वृद्धि को समर्थन मिला है।

- लगभग ₹9,207 करोड़ का निवेश एकत्रित किया गया है, जिसमें ₹2,162.55 करोड़ प्रोत्साहन वितरित किए गए हैं।
- प्रसंस्करण क्षमता में प्रति वर्ष 34 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, जिससे अवसंरचना सुदृढ़ हुई है।
- रोजगार सृजन 3.39 लाख तक पहुँच गया है, जो 2.5 लाख के लक्ष्य से अधिक है।
- प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात 13.23% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है, और 2021-2025 के दौरान ₹89,053 करोड़ का संचयी निर्यात हुआ है।

क्षेत्र की चुनौतियाँ

- आपूर्ति श्रृंखला खंडित है, जहाँ 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं, जिससे पैमाना एवं दक्षता सीमित होती है।
- कोल्ड स्टोरेज जैसी अवसंरचना की कमी से 25-30% कटाई-पश्चात हानि होती है, जिसकी वार्षिक लागत लगभग ₹92,651 करोड़ है।
- बहु-एजेंसी नियामक ढाँचा अनुपालन भार और अनिश्चितता बढ़ाता है।
- कौशल अंतराल है, जहाँ केवल 3% कार्यबल औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है।
- MSMEs के लिए वित्त तक सीमित पहुँच तकनीक और विस्तार में निवेश को बाधित करती है।
- गुणवत्ता मानकों और निर्यात अनुपालन से संबंधित मुद्दों के कारण वैश्विक बाजारों में उत्पाद अस्वीकृत होते हैं।
- प्लास्टिक पैकेजिंग और स्थिरता चुनौतियों जैसी पर्यावरणीय चिंताएँ नियामक दबाव बढ़ा रही हैं।
- कृषि वस्तुओं में मूल्य अस्थिरता उत्पादन और मूल्य निर्धारण में अनिश्चितता उत्पन्न करती है।

सरकारी पहल

- प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना शामिल हैं।
- निवेश समर्थन हेतु NABARD के साथ ₹2,000 करोड़ का विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष बनाया गया है।

आगे की राह

- उत्पादन केंद्रों के निकट एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर विकसित करना।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कर तकनीक-आधारित आपूर्ति श्रृंखला अपनाना।
- क्षेत्र-विशिष्ट ऋण योजनाएँ और ऋण गारंटी जैसी वित्तीय सुधार लागू करना।
- गुणवत्ता मानकीकरण और वैश्विक अनुपालन को सुदृढ़ करना ताकि निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़े।
- एकल-खिड़की स्वीकृति प्रणाली के माध्यम से नियामक सरलीकरण।
- सतत प्रसंस्करण और पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग को बढ़ावा देना।
- अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

आदि शंकराचार्य

समाचार में

- भारत के प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

आदि शंकराचार्य के बारे में

- आदि शंकराचार्य (लगभग 788-820 ई.) एक दार्शनिक, धर्मशास्त्री और संत थे, जिनका जन्म केरल के कालडी में हुआ।
- भारतीय दर्शन में उनका प्रमुख योगदान अद्वैत वेदांत है, जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है।
 - उन्होंने सिखाया कि आत्मा (व्यक्तिगत आत्मा) और ब्रह्म (सार्वभौमिक चेतना) एक ही हैं, दो अलग-अलग सत्ता नहीं। संसार की प्रत्यक्ष वास्तविकता माया (भ्रम) है, जो ज्ञान (सत्य ज्ञान) प्राप्त होने पर विलीन हो जाती है।

- उन्होंने षण्मत प्रणाली का परिचय दिया, जिसमें छह प्रमुख देवताओं (शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, मुरुगन और सूर्य) की उपासना को एक दार्शनिक छत्र के अंतर्गत संगठित किया गया। इससे प्रत्येक को ब्रह्म तक पहुँचने का वैध मार्ग माना गया और हिंदू परंपराओं में संप्रदायिक संघर्ष कम हुआ।
- शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी — वेदांत के तीन आधारभूत ग्रंथ: ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता और 12 प्रमुख उपनिषदों — पर प्रामाणिक भाष्य लिखे।
- उन्होंने 72 से अधिक भक्तिपूर्ण स्तोत्रों की रचना की, जिनमें सौंदर्यलहरी, शिवानंद लहरी और निर्वाण षट्कम् प्रमुख हैं।

स्रोत: PIB

SMILE योजना

संदर्भ

- SMILE योजना भारत में कमजोर समुदायों के समावेशी पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण को बढ़ावा देकर जीवन परिवर्तित कर रही है।

परिचय

- 2022 में शुरू की गई आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को सहायता (SMILE) योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- यह भारत का प्रथम एकीकृत राष्ट्रीय ढाँचा है, जो कमजोर समूहों को पहचान और बचाव से लेकर स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास, शिक्षा, परामर्श, कौशल विकास एवं दीर्घकालिक आर्थिक स्वतंत्रता तक प्रत्येक चरण में समर्थन प्रदान करता है।
- **प्रमुख घटक:** एक उप-योजना का उद्देश्य भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की पहचान, प्रोफाइलिंग और उनकी सहमति से पुनर्वास करना है।
 - दूसरा घटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए है।
- **उद्देश्य:** धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक शहरी स्थलों को “भिक्षावृत्ति-मुक्त” बनाना।

- **प्रगति:** जनवरी 2026 तक कुल 30,257 व्यक्तियों की पहचान भिक्षावृत्ति में संलग्न के रूप में की गई, जिनमें से 8,129 व्यक्तियों का विभिन्न शहरों में पुनर्वास किया गया।

स्रोत: PIB

शेखा झील पक्षी अभयारण्य को नया रामसर स्थल घोषित

संदर्भ

- भारत ने उत्तर प्रदेश में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को अपना 99वाँ रामसर स्थल घोषित किया है। अब उत्तर प्रदेश में कुल 12 स्थल सूचीबद्ध हैं।

शेखा झील पक्षी अभयारण्य के बारे में

- यह एक स्वच्छ जल का आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है, जो अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर द्वारा निर्मित हुआ।
- यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास है और बार-हेडेड गूज, पेंटेड स्टॉक तथा विभिन्न प्रजातियों की बत्तखों और जलपक्षियों के लिए शीतकालीन स्थल है।

भारत के नवीनतम रामसर स्थल

- **सिलिसेर झील (राजस्थान):** 95वाँ रामसर स्थल
- **कोप्रा जलाशय (छत्तीसगढ़):** 96वाँ रामसर स्थल
- **पटना पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश):** 97वाँ रामसर स्थल
- **छारी-धंध संरक्षण रिज़र्व (गुजरात):** 98वाँ रामसर स्थल

रामसर कन्वेंशन क्या है?

- रामसर स्थल वह आर्द्रभूमि है जिसे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है।
- रामसर कन्वेंशन सबसे पुराना अंतर-सरकारी समझौता है, जिसे सदस्य देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षित करने हेतु हस्ताक्षरित किया।
- यह 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित हुआ और 1975 में लागू हुआ।
- भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बना।

स्रोत: PIB

ट्रक माउंटेड एटेनुएटर्स (TMAs)

संदर्भ

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने हेतु ट्रक माउंटेड एटेनुएटर्स (TMAs) जैसे उन्नत सुरक्षा प्रणालियों को लागू कर रहा है।

ट्रक माउंटेड एटेनुएटर्स (TMAs) क्या हैं?

- TMAs विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए प्रभाव-शोषक सुरक्षा उपकरण हैं, जो श्रमिकों और सड़क उपयोगकर्ताओं दोनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- टकराव की स्थिति में ये प्रणालियाँ गतिज ऊर्जा को अवशोषित और नष्ट करती हैं, जिससे प्रभाव की तीव्रता कम होती है। इससे:
 - आगे कार्य कर रहे रखरखाव दल की सुरक्षा होती है।
 - टकराने वाले वाहन के यात्रियों के लिए चोट का जोखिम कम होता है।
 - राजमार्ग कार्य क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की गंभीरता घटती है।
- कई मायनों में TMAs एक अदृश्य ढाल की तरह कार्य करते हैं — जो खतरे और मानव जीवन के बीच खड़ा रहता है।
- तैनात TMAs उच्च-तीव्रता वाले विग-वैग चेटावनी लाइटों से सुसज्जित हैं, जो कम रोशनी और धुंधली परिस्थितियों में दृश्यता बढ़ाते हैं।



स्रोत: PIB

ट्रॉल असेंबली

समाचार में

- रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) और इलेक्ट्रो फ्यूमेटिक्स एंड हाइड्रॉलिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए ट्रॉल असेंबली की खरीद हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

परिचय

- ट्रॉल असेंबली एक माइन-क्लियरिंग उपकरण है, जिसे युद्धक टैंक के सामने लगाया जाता है ताकि टैंक के गुजरने से पहले एंटी-टैंक माइनों का सुरक्षित रूप से पता लगाया और विस्फोट किया जा सके।
- T-72 (अजेय):** सोवियत युग का मुख्य युद्धक टैंक, जो 1973 में सेवा में आया। विश्वभर में लगभग 25,000 इकाइयाँ निर्मित हुईं।
- T-90 (भीष्म):** रूसी मुख्य युद्धक टैंक, जो 1992 में सेवा में आया। यह T-72 का आधुनिकीकृत संस्करण है, जिसमें उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम, मिश्रित कवच और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोधक उपाय शामिल हैं।

स्रोत: TH

विश्व पृथ्वी दिवस 2026

संदर्भ

- पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

परिचय

- इतिहास:** पृथ्वी दिवस मनाने का विचार गेइलॉर्ड नेल्सन ने प्रस्तुत किया था, जब सांता बारबरा तेल रिसाव जैसी घटनाओं के बाद पर्यावरणीय चिंताएँ प्रमुखता से सामने आईं।
- पृथ्वी दिवस प्रथम बार 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया, पर्यावरणीय क्षरण की बढ़ती समस्याओं के उत्तरस्वरूप।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 22 अप्रैल को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस घोषित किया।
- 2026 का विषय:** “आवर पावर, आवर प्लैनेट (Our Power, Our Planet)” (हमारी शक्ति, हमारा ग्रह)।

स्रोत: PIB

ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2026

संदर्भ

- ब्रेकथ्रू प्राइज फाउंडेशन ने 2026 के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की।

ब्रेकथ्रू पुरस्कार के बारे में

- ब्रेकथ्रू पुरस्कारों की स्थापना 2012 में सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान और मार्क जुकरबर्ग, जूलिया और यूरी मिलनर, तथा ऐन वोज्जिसकी द्वारा की गई थी, ताकि मौलिक विज्ञानों में परिवर्तनकारी योगदान को मान्यता दी जा सके।
- ये पुरस्कार जीवन विज्ञान, मौलिक भौतिकी और गणित को कवर करते हैं, तथा प्रत्येक पुरस्कार की राशि 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- इन्हें प्रायः “विज्ञान के ऑस्कर” कहा जाता है। स्थापना के बाद से अब तक 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रदान किए जा चुके हैं।

जीवन विज्ञान पुरस्कार

- स्टुअर्ट ऑर्किन और स्वी ले थीन को सिकल सेल रोग एवं बीटा-थैलेसीमिया के उपचार में प्रगति के लिए सम्मानित किया गया, जिससे कैसगेवी का विकास हुआ — यह प्रथम CRISPR-आधारित उपचार है जो रोगियों की रक्त स्टेम कोशिकाओं को संपादित करता है।
- जीन बेनेट, कैथरीन हाई और अल्बर्ट मैग्वायर को लीबर कंजेनिटल अमाउरोसिस में दृष्टि पुनर्स्थापित करने वाली प्रथम FDA-अनुमोदित जीन-प्रतिस्थापन चिकित्सा विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया, जिसके दीर्घकालिक लाभ हैं।

- रोसा राडेमेकर्स और ब्रायन ट्रेनर को ALS एवं फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख आनुवंशिक उत्परिवर्तन की पहचान करने हेतु सम्मानित किया गया, जिससे प्रभावित परिवारों के लिए आनुवंशिक परीक्षण संभव हुआ।

गणित पुरस्कार

- फ्रैंक मर्ले को गतिशील प्रणालियों और तरंग विकास की समझ को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें यह सिद्ध करना शामिल है कि कुछ समीकरण सीमित समय में अनंत हो सकते हैं, जिससे पूर्व धारणाएँ बदल गईं।

मौलिक भौतिकी पुरस्कार

- CERN, ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी और फर्मी लैब में सहयोगों को म्यून के चुंबकीय आघूर्ण के सटीक मापन के लिए सम्मानित किया गया, जिसने वर्तमान भौतिक सिद्धांतों की सीमाओं का परीक्षण किया।
- एक विशेष ब्रेकथ्रू पुरस्कार डेविड ग्रॉस को उनके आजीवन योगदान के लिए दिया गया, जिसमें प्रबल नाभिकीय बल पर कार्य शामिल है।

स्रोत: TH

सालवीन नदी

समाचार में

- सालवीन नदी में आर्सेनिक प्रदूषण के चिंताजनक स्तर पाए गए हैं।
 - आर्सेनिक एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विषैला धात्विक तत्व है, जो भूवैज्ञानिक संरचनाओं, खनन गतिविधियों और औद्योगिक अपशिष्ट से नदी प्रणालियों में प्रवेश करता है।

नदी के बारे में

- सालवीन एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है, जिसे विभिन्न देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है: चीन में *Nu*, म्यांमार में *थानत्विन*।
- यह दक्षिण-पूर्व एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है (मेकांग के बाद) और दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे लंबी मुक्त प्रवाहित नदी है, जिस पर कोई बाँध नहीं है।

- यह नदी तिब्बती पठार पर तांगुला (तांगुला) पर्वतों से उत्पन्न होती है।

स्रोत: TOI


समृद्ध ग्राम पहल एवं WSIS पुरस्कार 2026

संदर्भ

- हाल ही में *समृद्ध ग्राम पहल* को WSIS पुरस्कार 2026 के लिए *एक्शन लाइन AL C6: एनेबलिंग एनवायरनमेंट* के अंतर्गत नामित किया गया। यह भारत के समावेशी ग्रामीण विकास हेतु डिजिटल अवसंरचना के उपयोग की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है।

समृद्ध ग्राम पहल के बारे में

- **समृद्ध ग्राम:** एकीकृत फिजिटल सेवा वितरण मॉडल, भारतनेट द्वारा सक्षम, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की पहल है।



- एक पायलट पहल के रूप में, समृद्ध ग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नागरिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु भौतिक और डिजिटल ('फिजिटल') सेवा वितरण को एकीकृत करता है।
- इस पहल को *डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन* द्वारा क्षेत्रीय संचालन और सामुदायिक जागरूकता के लिए समर्थन प्राप्त है।
- हाल ही में भारत का प्रथम *समृद्धि केंद्र* मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गाँव में उद्घाटित किया गया।

विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन और WSIS पुरस्कार

- विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन (WSIS) एक वैश्विक बहु-हितधारक मंच है, जिसकी स्थापना 2004 में डिजिटल विकास और समावेशी सूचना समाजों को आगे बढ़ाने हेतु की गई।
- WSIS पुरस्कार 2012 में WSIS स्टॉकटेकिंग प्रक्रिया के अंतर्गत शुरू किए गए, ताकि सतत विकास और सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देने वाली ICT-आधारित परियोजनाओं को मान्यता दी जा सके।
- ये पुरस्कार एक वैश्विक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जो प्रभावशाली डिजिटल पहलों की पहचान और प्रोत्साहन करते हैं, और हितधारकों को WSIS एक्शन लाइनों तथा ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए विजेता और चैंपियन के रूप में मान्यता देते हैं।

स्रोत: PIB

